कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल म.प्र.

//परिपत्र//

क्रमांक क्यू/दो–12–02/2023 भोपाल, दिनांक 16/06/23

प्रति,

1– समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण
भोपाल/बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र.

2– समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारीगण
भोपाल/बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र.

विषयः– Face Recognition System (FRS) मशीन से समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों की दैनिक उपस्थिति के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ई–मेल ज्ञापन क्र–रजि.(आई.टी.)(एस.ए.) 2023/638 जबलपुर दिनांक 09.05.2023 से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 01.06.2023 से Face Recognition System (FRS) मशीन से प्रत्येक कार्यदिवस में आगमन व प्रस्थान के लिये निर्धारित प्रातः 10:30 एवं सायंकाल 5:30 पर फेस रीडिंग उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके पालन में कार्यालयीन परिपत्र क्र–क्यू/लेखा/2023, भोपाल दिनांक 12 मई 2023 द्वारा समस्त शासकीय सेवकों की दैनिक उपस्थिति दिनांक 01.06.2023 से Face Recognition System (FRS) मशीन द्वारा लिया जाना प्रारंभ किया गया है।

Face Recognition System (FRS) मशीन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अधिकांश शासकीय सेवकगण का विलंब से आगमन एवं अधिकांश शासकीय सेवकगण की अनुपस्थिति दर्शित हो रही है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि अपने न्यायालय/अधीनस्थ अनुभाग में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकगण को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ई–मेल ज्ञापन क्र–रजि.(आई.टी.)(एस.ए.) 2023/638 जबलपुर दिनांक 09.05.2023 का कड़ाई से पालन करते हुए दिनांक 19.06.2023 से अनिवार्य रूप से Face Recognition System (FRS) मशीन में प्रातः 10:30 एवं सायंकाल 5:30 पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें एवं <u>3 दिवस की विलंब होने की दशा में एक दिवस का आकस्मिक अवकाश नियमानुसार काटा जावेगा।</u>

Sd
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म.प्र.

पृष्ठांकन क्र–8814 क्यू/दो–12–02/2023 भोपाल, दिनांक 16/6/23

आदेशानुसार प्रतिलिपिः–

1– कोर्ट मैनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालयीन लिपिक/जे.एस.ए. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ

जिला रजिस्ट्रार,
सिविल कोर्ट, भोपाल म.प्र.
16.6